

अति तत्काल  
आर टी आई मामला

सं. 14036/415/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक: ३० अगस्त, 2013

सेवा में

ਪੁਲਿਸ ਤਪਾਯੁਕਤ,  
ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ,  
ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਾਤਥ, ਆਈ ਪੀ ਏਸਟੇਟ,  
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

**विषय:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमान्/श्रीमती अंतर्गत क्रेडिट द्वारा मांगी गई सूचना।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक २०.१०.२०१३ के उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक ३०.०८.२०१३ को प्राप्त) का उल्लेख करने का निर्देश हुआ है। चूंकि आर टी आई आवेदन की विषय-स्वरूप दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इसे उपर्युक्त कार्रवाई करने तथा उपरोक्त आवेदक को सीधे सूचना प्रदान करने हेतु आपको अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने अपेक्षित शल्क इस मंत्रालय/\_\_\_\_\_में जमा कर दिया गया है।

भवदीया

५२१-८५४७  
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं  
अंकर सचिव (डी पी-11)  
दूरभाष : 23092856

संलग्नकः यथोपरि

प्रतिलिपि:

प्रतिलिपि:  
 श्री/श्रीमती/श्रीमती आई साह अंडली, २१९ गल नं०७,  
भजावीकु का गोदान का द्वचिवलि श्री कर्णपुरी विहार, दिल्ली-६४  
 इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त  
 सचिव (यू.टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

Debated with Encl  
1568 / 1535  
12/6